



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 वैशाख 1942 (श0)

(सं० पटना 259) पटना, बुधवार, 29 अप्रील 2020

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

7 अप्रील 2020

सं० 5 न०वि०/निर्वा-06/2016-1466/न०वि०एवंआ०वि०—कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत डुमरा (सीतामढ़ी) द्वारा नगर पंचायत डुमरा के निर्वाचित बोर्ड का पाँच वर्ष का कार्यकाल दिनांक 10.03.2020 को समाप्त हो जाने की सूचना दी गई है।

2. चूँकि नगर पंचायत डुमरा एवं नगर परिषद सीतामढ़ी एवं निकटवर्ती मौजों को मिलाकर नगर निगम सीतामढ़ी के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित है एवं इस परिप्रेक्ष्य में नगर पंचायत डुमरा का निर्वाचन नहीं हो सका है तथा नगर पंचायत डुमरा के निर्वाचित बोर्ड का पाँच वर्ष का कार्यकाल दिनांक 10.03.2020 को पूर्ण हो चुका है, अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 12 (9) के प्रावधानों के तहत दिनांक 10.03.2020 के प्रभाव से उक्त अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नगर पंचायत डुमरा में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
कुमार देवेन्द्र प्रौज्ज्वल,  
सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 259-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>